न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

राजस्व अपील संख्या :–17 / 2020

चरनसिंह पुत्र स्व0 परभाती जाति कोली निवासी कस्बा कुम्हेर छापर मौहल्ला कुम्हेर जिला भरतपुर।

....अपीलान्ट

बनाम

1. ढकेली पुत्री परभाती पत्नी बदनसिंह जाति कोली निवासी छापर मौहल्ला सिकरोरी दरवाजा कस्बा कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार सरकार

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्व आदेश विरूद्व तहसीलदार नदबई दिनांक 26.06.2015 बाबत् आराजी खसरा नम्बर 772 / 2326 व 781 कुल किता 2 रकबा 0.20 एयर नामान्तकरण संख्या 388 वाके ग्राम अटारी तहसील नदबई।

———

उपस्थितः–

1. श्री पुरूषोत्तम मुद्गल अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री सुभाष चाहर अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 23.11.2021**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0भू0राजस्व अधिनियम (मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम) विरूद्व नामान्तकरण संख्या 388 वाके ग्राम अटारी तहसील नदबई आदेश दिनांक 26.06.2015 द्वारा तहसीलदार नदबई प्रस्तुत किया गया है। अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से काबिल मन्सूखी है। आराजी खसरा नम्बर 772 / 2326 रकबा 0.04 एयर व खसरा नम्बर 781 रकबा 0.16 ऐयर वाके ग्राम आटारी तहसील नदबई में स्थित है जिसके अपीलान्ट के पिता परभाती रिकार्डेड गैर खातेदार दर्ज थे। उक्त आराजी अपीलान्ट के पिता को आवंटन होने से प्राप्त हुई और उस पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। रेस्पो0 स01 को उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध नही रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना वारिसान

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

की जांच किये नामान्तकरण संख्या 388 राजस्व कैम्प डहरा में स्वीकृत कर दिया। मृतक परभाती को उक्त भूमि का आंवटन कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 29.09.1972 को हुआ था वह उसकी स्वअर्जित भूमि है। इसलिए परभाती के मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिस उसकी पत्नी चम्पी व पुत्र चरनसिंह व ढकेली हुये थे लेकिन चम्पी ने अपने जीवनकाल में ही उक्त खसरा नम्बर 781 व 772/2326 में आये हिस्से की रिलीज डीड दिनांक 31.10.2010 को ही करवा दी थी। इससे मृतक के तीन हिस्सेदारो में अपीलान्ट के दो हिस्से हुये किन्तु तहत न्यायालय ने बिना जांच किये एवं अपीलान्ट को बिना सुने ही नामान्तकरण संख्या 388 में 1/2 अपीलान्ट व 1/2 हिस्से की रेस्पोडेन्ट सं0 01 के नाम नामान्तकरण कर दिया जबकि अपीलान्ट को 2/3 हिस्से का व रेस्पो0 1/3 हिस्से का होना चाहिये था। नामान्तकरण संख्या 388 में खसरा नम्बरों का उल्लेख नही किया है तथा खसरा नम्बर 781 को लिखा ही नही गया है और नामान्तकरण में कटिंग हो रही है। तहत न्यायालय द्वारा बिना जांच किये ही नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। दिनांक 04.09.2020 को जब अपीलान्ट अपने खेतो पर कृषि कार्य कर रहा था तो रेस्पो0 ने स्पष्ट शब्दों में यह धमकी दी है कि मैने राजस्व कर्मचारियों से अपने नाम 1/2 हिस्सा करा लिया है व मुझे काश्त नही करने दूगीं। यह इससे प्रार्थी ने नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 04.09.2020 को नकल प्राप्त की दिनांक 26.06.2015 से 4.9.2020 तक के समय क्षम्य करते हुए अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र पृथक से संलग्न है। अन्त में अपीलान्टगण अभिभाषक द्वारा अपील स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2015 को निरस्त करते हुये अपीलान्ट को 2/3 तथा रेस्पो0 01 को 1/3 हिस्से का खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये तहत आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न पत्रावली है। पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने तर्को में अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया है कि यह अपील नामान्तकरण संख्या 388 वाके ग्रम अटारी दिनांक 26.06.2015 कैम्प डहरा तहसीलदार नदबई के विरूद्व पेश की है। खसरा नम्बर 772/2326 रकबा 04 ऐयर व ख0न0 781 रकबा 0.16 ऐयर वाके ग्राम अटारी तहसील नदबई स्थित है। जिसमें परभाती रिकार्डेड खातेदार थे उनके देहान्त के बाद उक्त आराजी खसरा नम्बरान मु0 चम्पी बेबा परभाती, चरनसिंह व ढकेली के नाम आ गई इस प्रकार 1/3, 1/3, 1/3 के तीनो खातेदार हो गये किन्तु चम्पी बेबा परभाती ने दिनांक 26.07.2005 को अपने हिस्से की आराजी की रिलीजडीड अपने पुत्र चरनसिंह के हक में कर दी। इससे उक्त खसरा नम्बरान में अपीलान्ट 2/3 व रेस्पो0 01 ढकेली 1/3 हिस्से की खातेदार रही लेकिन पटवारी व तहसीलदार नदबई ने न तो अपीलान्ट को बिना पूछे, सूचना के एवम् बिना जांच के

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

नामान्तकरण संख्या 388 स्वीकृत कर अपीलान्ट व रेस्पो0 01 को वहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज कर दिया जबकि रेस्पो0 रा0 1 के 1/3 के इन्द्राज शुरू से अंत तक शून्य है क्योंकि मृतक परभाती की बेबा ने अपने पुत्र चरनसिंह के हक में दिनांक 26.07.2005 को ही रिलीज दे दी थी। जबकि तहत न्यायालय द्वारा भी 2015 का है यानि रिलीज के आधार पर ही नामान्तकरण खोला जाना चाहिये था। जहां तक तक मियाद का सवाल है उसमें अपीलान्ट को न तो कैम्प में हाजिर होने की कोई सूचना दी और न ही उसे सुना गया तथा आदेश प्राथमिक रूप से अवैध व कानून के खिलाफ है। ऐसे मामलों में मियाद का बिन्दु कोई महत्व नही रखता है।

अन्त में अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 388 वाके ग्राम अटारी तहसील नदबई को संशोधित कर 2/3 हिससे का अपीलान्ट व 1/3 हिस्से का रेस्पो0 01 ढकेली को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

रेस्पो0 के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि तहत न्यायालय तहसीलदार नदबई द्वारा दिनांक 26.06.2015 को पारित निर्णय सही है। अपील की मद संख्या 2 स्वीकार है किन्तु मृतक परभाती को मद नम्बर 2 में वर्णित खसरा नम्बर का आवंटन नही किया गया है। रेस्पो0 01 को आवंटन का ज्ञान नही और मृतक परभाती की पत्नी चम्पा ने दिनांक 31.10.2010 को अपीलान्ट को अपने हिस्से कोई रिलीज नही कराई गई है। जो पत्रावली में संलग्न है वह रिलीज दिनांक 26.07.2005 की तहसील कुम्हेर में कराई गई है जबकि नामान्तकरण तहसील नदबई में खुला है। नामान्तकरण संख्या 388 वाके ग्राम अटारी की जानकारी अपीलान्ट को शुरू से ही थी। अतः अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि उसकी बिना जानकारी व बिना जांच के नामान्तकरण खोला गया है। जब अपीलान्ट को जानकारी ही थी फिर भी अपील विलम्ब से पेश की गई है जो कि काबिल नामंजूर किये जाने योग्य है। अन्त में रेस्पो0 के अभिभाषक द्वारा अपील अपीलान्ट को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने उभय पक्षकारान अभिभाषक की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रथमतः अपील के मियाद बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील काफी विलम्ब से पेश की गई है। हालांकि अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया है किन्तु अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई सन्तोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। तत्पश्चात् अपील का मैरिट पर निस्तारण हेतु पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपील के साथ नामान्तकरण संख्या 388 की सत्यप्रतिलिपि तथा नकल पट्टा एवं जमाबंदी सम्वत् 2073–76 एवं रिलीजडीड दिनांक 26.07.2005 की प्रति पेश की है। नामान्तकरण संख्या 388 के अवलोकन से यह सिद्ध है कि उक्त नामान्तकरण राजस्व लोक

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अदालत शिविर दिनांक 26.06.2015 को तहसीलदार नदबई द्वारा स्वीकृत किया गया है जो कि विरासत की जांचकर नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकरण में आराजी खसरा नम्बर 772 / 2326 किता 2 रकबा 0.20 ऐयर का स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रिलीजडीड दिनांक 26.07.2005 की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त रिलीज तहसील कुम्हेर स्थित आराजी की है जो कि उपपंजीयक कुम्हेर द्वारा तस्दीक की गई है। नामान्तकरण संख्या 388 वाके ग्राम अटारी तहसील नदबई का सजरा अनुसार विरासत का अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के हक में स्वीकार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि न होने की स्थिति में हस्तक्षेप करना उचित नही पाते है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पाते है ।

अतः आदेश है कि :–

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर